न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–श्री गोविन्दसिह आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 01/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सुरेश पिता डाउ जाति सालवी निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2. जगदीश पिता डाउ जाति सालवी निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
3. मंजू पुत्री डाउ जाति सालवी निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
4. नारू पुत्री डाउ जाति सालवी निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
5. देउदेवी पत्नी डाउ जाति सालवी निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर सिह पिता रतनसिह जाति राजपुत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2. राजुसिह पिता रतनसिह जाति राजपुत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
3. भंवरसिह पिता रतनसिह जाति राजपुत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
4. पारसकंवर पत्नी रतनसिह जाति राजपुत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
5. शम्भूसिह पिता बाघसिह जाति राजपुत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
6. मूलसिंह पिता बाघसिह जाति राजपुत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
7. लाडकंवर पुत्री बाघसिह जाति राजपुत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
8. पुष्पाकंवर पुत्री बाघसिह जाति राजपुत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
9. पप्पुकंवर पुत्री बाघसिह जाति राजपुत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन

प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 09.05.2019

प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीथलपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता सख्या 102 में अंकित आ.सं. 275 रकबा 0.61 है. आ. सं. 276 रकबा 0.01 है. आ.सं.481/275 रकबा 0.83 है. कुल किता 3 रकबा 1.45 है. भूमिया अन्य नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 1 में अंकित कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम पीथलपुरा से होकर बिलानाम आ.स. 242 गै.मु नाली पर स्थित पुलिया से होकर बिलानाम आ.सं.247,237 के पश्चिमी किनारे पर होते हुए बिलानाम आ.सं. 234, 232 में होते हुए विपक्षीगण की आराजी सं. 281किस्म.गै.मु. रास्ता में होते हुए विपक्षीगण की आ. सं 273 में होकर प्रार्थीगण की आराजी सं. 275 में जाता है प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग करते हुए अपनी कृषि आराजियात में आवागमन करते रहते है जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम स. 1 में अंकित किया गया है में आवागमन के रास्ते को सुविधा की दृष्टि से राजस्व नक्शे में लाल स्याही से डोटेड अंकित किया गया है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी आराजियात में उक्त विद्यमान कदीमी रास्ते से ही अपने पूर्वजो के समय से आवागमन करते चले आ रहे है परंतु विपक्षीगण प्रार्थीगण से. द्वेषता रखते है जिससे आए दिन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने पर गाली गलौच कर लडाई झगडा करने लग गये।विपक्षीगण ने दिनांक 9.12.2017 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर आवागमन के उक्त कदीमी विद्यमान रास्ते को बंद कर दिया तथा प्रार्थीगण

खाद से भरे ट्रेक्टर अपने खेतो में ले जाने से रोक दिया व रास्ते से आवागमन करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है। विपक्षीगण द्धारा प्राथीगण का विधमान रास्ता रोक देने से प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात में आवागमन नही कर पा रहे है तथा प्रार्थीगण का खाद का ट्रेक्टर रोक देने से प्रार्थीगण अपने खेतो में खाद भी न ही डाल पाए व खेतो की हकाई बुआई भी नी कर पा रहे है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है।

यह कि प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन के उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने जबरन बंद कर दिया है। तथा उक्त रास्ते से आवागमन करने पर प्रार्थीगण को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा हैं उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में सरकारी दर्ज नही होने से विपक्षीगण की आराजी सं. 281,273, में स्थित प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को नही खुलवाया गया प्रार्थीगण व उसका परिवार भुखे मरने की स्थिति में आ जाएगा जिससे उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में स्थाई रूप से सरकारी रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित हो गया हैं। प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते में विपक्षीगण की जितनी भूमि आती है उतनी भूमि कीमत प्रार्थीगण डी.एल.सी. दर से विपक्षीगण को अदा करने के लिये तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन के उक्त रास्ता को विपक्षीगण ने दिनांक 9.12.2017 को लकडिया व पत्थर डाल कर बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 9.12.2017 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 02.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 से 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

विपक्षी संख्या 10 तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में आ.स. 99,242,238,234,232,एवं 281 बिलानाम होने से रास्ते की समस्या नही है परन्तु आ.स. 281 से आ.स. 273 की पिश्चिमी मेड पर होकर प्रार्थी के आ.न.275 में जाने के लिये रास्ता बन्द है। रेकार्डड रास्ता नही है।मौके उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। मौके पर वर्तमान में खेत खाली पडे होने से जगह जगह थोर की बाड हटी हुई है ।लेकिन प्रार्थी रास्ता चाहता है वहा पर बन्द है।

वर्तमान में प्रार्थी द्धारा अपनी आ.न. 275 में पैरा स. 1 में उल्लेखित आराजियात में होकर ही आवागमन होता रहा है। परन्तु विपक्षीगणो द्धारा आ.न. 234 के उतरी कौने पर डोल डाले की वजह से आगे का रास्ता बन्द हो गया है।

उक्त रास्ते में आने वाली भूमि आ.न. 234 रकबा 312 वर्गमीटर , 232 रकबा 56 वर्गमीटर एंव 273 रकबा 92 वर्गमीटर जिसमें से 368 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकारी एवं 92 वर्गमीटर भूमि विपक्षीगणो की आती है। जिसकी डी.एल.सी. दर 63700/–प्रति बिघा होने से असिचित पास की दर से दुगुनी राशि देय है ।प्रस्तावित रास्ता सालम नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।मौके पर प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक वैकल्पिक रास्ता नही है।

. मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होने से ग्राम पीथलपुरा की आराजी भूमि आ.न. 234 रकबा 312 वर्गमीटर ,232 रकबा 56 वर्गमीटर एंव 273 रकबा 92 वर्गमीटर जिसमें से 368 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकारी एवं 92 वर्गमीटर भूमि विपक्षीगणो की आती है। आवागमन का 15 फिट चौडा नवीन रास्ता तहसीलदार रायपुर की प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 01.06.2018 के अनुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मै प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एंव कब्जे कास्त की आराजी सं0 275 रकबा 0.61 है आराजी सं. 276 रकबा 0.01 है. आराजी सं. 481/275 रकबा 0.83 है. कुल किता 03 कुल रकबा 1.45 हे0 भुमि मे आवागमन में विपक्षीगण की आराजी सं0 234 रकबा 312 वर्गमीटर ,232 रकबा 56 वर्गमीटर एंव 273 रकबा 92 वर्गमीटर जिसमें से 368 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकारी एवं 92 वर्गमीटर भूमि पर 15 फीट चौडा नवीन रास्ता प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 01.06. 2018 के अनुसार रकबा 92 वर्ग मीटर भूमि की डी0एल0सी0 दर से दुगुनी राशि 5424/रू प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण को बतौर मुआवजा अदा करने तथा बिलानाम 368 वर्गमीटर की राशि 21695/रू राजकोष में जमा की जाकर नवीन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

गोविन्दसिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा